न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —42/2022(2022/00083)

अनवान : —

बाबूलाल पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. अमीचन्द पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा। ।
2. बलवन्त सिंह पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
3. अनील कुमार पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
4. सुनिता पुत्री अमीचन्द जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री सतवीर बेनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 30/03/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 01 बी.एच.पी. के खाता सं. 16/13 के मु.न. 152 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 मु.न. 153 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल किता 20 की 5.0600 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि व चक नं. 2 के आर पी के चखाता सं. 8/7 मु.न. 29 के किला न. 16, 17, 18/1, 18/2, 25 मु.न. 30 के किला नं. 20, 21 कुल किता 7 की 1.5180 हैक्टर, जिसमें नहरी 1.5050 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.0130 हैक्टर, खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 01 अमीचन्द पुत्र उदयराम के नाम से दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा उदयराम पुत्र लेखराम की खातेदारी हुआ करती थी। लेखराम से विरास्तन वादभूमि प्रतिवादी 01 अमीलाल को प्राप्त हुई, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी 02 ता 04 का जन्म से हक व हिस्सा है। वाद भूमि व वादी एवं प्रविवादी बलवन्त सिंह ही काश्त करते है। प्रतिवादी सं. 01 व 03 के अन्य भूमि बंटवारा में आइ है और प्रतिवादी सं. 04 अपने ससुराल में आबाद है।

वादी एवं प्रतिवादीगण का फैमिली सैटलमेन्ट होकर बंटवारा हो चुका है और वादी के बंटवारा में चक चक 01 बी.एच.पी. के खाता सं. 16/13 के मु.न. 152 के किला न. 20, 21 मु.न. 153 के किला नं. 13 ता 18, 23 ता 25 कुल किता 20 की 5.0600 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि व चक नं. 2 के आर पी के खाता सं. 8/7 मु.न. 29 के किला न. 16, 17, 18/1, 18/2, 25 मु.न. 30 के किला नं. 20, 21 एवं प्रतिवादी बलवन्त सिंह के के बंटवारा में चक नं. चक 01 बी.एच.पी. के खाता सं. 16/13 के मु.न. 152 के किला न. 1, 10, 11 मु.न. 153 के किला नं. 3 ता 8 आई है, जिसे बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी बलवन्तसिंह काश्त कर रहे है। लेकिन वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि है और प्रतिवादी 01 अमीलाल के नाम दर्ज रहने से वादी एवं प्रतिवादी बलवन्त सिंह की हक वलफी होती है। और वे अपनी कृषि भूमि पर कोई सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए उपरोक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी खतेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है और बाद घोषणा इस कदर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने के अधिकारी है।

इसी प्रकार बंटवारा में प्रतिवादी नं. 01 अमीचन्द के हिस्से में खातेदारी कृषि भूमि चक 1 बी.एच.पी. के खाता सं. 15/264 के मु.न. 146, 147 व चक 6 बी.एच.डी के खाता सं.7/30 के मु.न. 7 की व चक 6 बी.एच.डी. के खाता सं. 08/21 के मु.न. 07, 20, 21 के कुल खसरा 18 की 3.2890 हैक्टर में प्रतिवादी अमीचन्द का 11/13 हिस्सा आई है। प्रतिवादी अनिल के बंटवारा व हिस्सा में चक 7 बी.एच.डी. के खाता सं. 321/27 के मु.न. 19 की 6 किला व इसी चक नं. 7 बी.एच.डी. के खात सं. 11/147 के मु.न. 36, 37 के कुल किता 25 की 5.3130 हैक्टर आई है जो कास्त करते है। और प्रतिवादीया संख्या 4 की शादी अच्छे घर में कर रखी है, वहां उसकी चल एवं अचल सम्पत्ती है, इसलिए प्रतिवादिया ने अपना हक व हिस्सावादी व प्रतिवादी बलवन्तसिंह के पक्ष में मौखिक रूप से त्याग कर रखा है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा किया हुआ है। बंटवारा में प्रतिवादी नं. 01 अमीचन्द के हिस्से में खातेदारी कृषि भूमि चक 1 बी.एच.पी. के खात सं. 15/264 के मु.न. 146, 147 व चक 6 बी.एच.डी के खाता सं.7/30 के मु.न. 7 की व चक 6 बी.एच.डी. के खाता सं. 08/21 के मु.न. 07,

20, 21 के कुल खसरा 18 की 3.2890 हैक्टर में प्रतिवादी अमीचन्द का 11/13 हिस्सा आई है। प्रतिवादी अनिल के बंटवारा व हिस्सा में चक 7 बी.एच.डी. के खाता सं. 321/27 के मु.न. 19 की 6 किला व इसी चक नं. 7 बी.एच.डी. के खात सं. 11/147 के मु.न. 36, 37 के कुल किता 25 की 5.3130 हैक्टर आई है जो कास्त करते है। और प्रतिवादीया संख्या 4 की शादी अच्छे घर में कर रखी है, वहां उसकी चल एवं अचल सम्पत्ती है, इसलिए प्रतिवादिया ने अपना हक व हिस्सावादी व प्रतिवादी बलवन्तसिंह के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शून्य कर लिया है। उक्त कथन राजीनामें में स्वीकार है।

साक्ष्य वादी में वादी बाबूलाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 1 बीएचपी खाता सं. 16/13 प्रदर्श 01, जमाबंदी चक 2 के आर पी खाता सं. 8/7 प्रदर्श 02, जमाबंदी चक 1 बीएचपी खाता सं. 15/264 प्रदर्श 03, जमांबदीं चक 6 बीएचडी खाता सं. 7/30 व 08/21 प्रदर्श 04 व 05 , जमाबंदी 7 बीएचडी प्रदर्श 06 व 07, जमाबंदी संवत 2001 रोही मौजा सिकरोड़ी प्रदर्श 08, जमाबंदी रोही मौजा सिकरोड़ी संवत 2006 प्रदर्श 09, जमांबदी 2 केआरपी संवत 2016 प्रदर्श 10, जमांबदी संवत 2019 प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 04 वादी की बहिन है जिन्होंने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी बलवन्त सिहं के पक्ष में हक त्याग किया हुआ है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा वादी के बंटवारा में चक 01 बी.एच.पी. के खाता सं. 16/13 के मु.न. 152 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 मु.न. 153 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल किता 20 की 5.0600 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि व चक नं. 2 के आर पी के चखाता सं. 8/7 मु.न. 29 के किला न. 16, 17, 18/1, 18/2, 25 मु.न. 30 के किला नं. 20, 21 कुल किता 7 की 1.5180 हैक्टर, जिसमें नहरी 1.5050 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.0130 हैक्टर, खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 01 अमीचन्द पुत्र उदयराम के नाम से दर्ज है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 01 बी.एच.पी. के खाता सं. 16/13 के मु.न. 152 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 मु.न. 153 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल किता 20 की 5.0600 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि व चक नं. 2 के आर पी के खाता सं. 8/7 मु.न. 29 के किला न. 16, 17, 18/1, 18/2, 25 मु.न. 30 के किला नं. 20, 21 कुल किता 7 की 1.5180 हैक्टर, जिसमें नहरी 1.5050 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.0130 हैक्टर, खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 01 अमीचन्द पुत्र उदयराम के नाम से दर्ज है। जिसमें वादी चक 01 बी.एच.पी. के खाता सं. 16/13 के मु.न. 152 के किला न. 20, 21 मु.न. 153 के किला नं. 13 ता 18, 23 ता 25 व चक नं. 2 के आर पी के खाता सं. 8/7 मु.न. 29 के किला न. 16, 17, 18/1, 18/2, 25 मु.न. 30 के किला नं. 20, 21 एवं प्रतिवादी बलवन्त सिंह चक 01 बी.एच.पी. के खाता सं. 16/13 के मु.न. 152 के किला न. 1, 10, 11 मु.न. 153 के किला नं. 3 ता 8 के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/03/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –42/2022(2022/00083)

अनवान : –

बाबूलाल पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. अमीचन्द पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा। ।
2. बलवन्त सिंह पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
3. अनील कुमार पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
4. सुनिता पुत्री अमीचन्द जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री धर्मपाल़ बेरवाल व वकील प्रतिवादी श्री सतवीर पूनिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही चक 01 बी.एच.पी. के खाता सं. 16/13 के मु.न. 152 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 मु.न. 153 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल किता 20 की 5.0600 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि व चक नं. 2 के आर पी के खाता सं. 8/7 मु.न. 29 के किला न. 16, 17, 18/1, 18/2, 25 मु.न. 30 के किला नं. 20, 21 कुल किता 7 की 1.5180 हैक्टर, जिसमें नहरी 1.5050 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.0130 हैक्टर, खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 01 अमीचन्द पुत्र उदयराम के नाम से दर्ज है। जिसमें वादी चक 01 बी.एच.पी. के खाता सं. 16/13 के मु.न. 152 के किला न. 20, 21 मु.न. 153 के किला नं. 13 ता 18, 23 ता 25 व चक नं. 2 के आर पी के खाता सं. 8/7 मु.न. 29 के किला न. 16, 17, 18/1, 18/2, 25 मु.न. 30 के किला नं. 20, 21 एवं प्रतिवादी बलवन्त सिंह चक 01 बी.एच.पी. के खाता सं. 16/13 के मु.न. 152 के किला न. 1, 10, 11 मु.न. 153 के किला नं. 3 ता 8 के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/03/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़